10: सहायक कार्यक्रम

सहायक कार्यक्रम

सूचना एवं जन–जागरूकता कार्यक्रम

10.1 देश की ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा उपयोग की पर्यावरणीय स्थिरता के लिए बढ़ती चिंता से हाल ही के समय में अक्षय ऊर्जा की भूमिका बढ़ती जा रही है। जनता के लिए अक्षय ऊर्जा के लाभ और प्रयोग को बढ़ाने के लिए, सूचना, प्रसार और प्रचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जन–जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना एवं जन–जागरूकता (आईएंडपीए) की गतिविधियों महत्वपूर्ण हैं। इसी पृष्ठ भूमि में अक्षय ऊर्जा के लिए आई एंड पीए कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा हेतु मीडिया रणनीति के संपूर्ण फ्रेमवर्क के तहत गतिविधियों के कार्यान्वयन में अवधारणीकृत और विकसित किए गए हैं।

10.2 कार्यक्रम को मौजूदा सरकारी चैनलों जैसे (i) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय; (ii) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी); (iii) दूरदर्शन; (iv) ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) (v) गाना और नाटक प्रभाग (vi) अक्षय ऊर्जा के लिए राज्य नोडल विभाग/एजेंसियाँ और (vii) गैर–सरकारी संगठनों/शैक्षणिक संस्थानों आदि के माध्यम से और मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महत्व की प्रदर्शनियों में भागीदारी एवं अन्य प्रासंगिक संस्थानों/संगठनों के माध्यम से भी कार्यान्वित किया जाता है।

10.3 वर्ष के दौरान निम्नलिखित आईएंडपीए गतिविधियों को अक्षय ऊर्जा के लिए मीडिया रणनीति की समग्र रूपरेखा के तहत विकसित और कार्यान्वित किया गया :

i. अक्षय ऊर्जा की विभिन्न प्रौद्योगिकियों, प्रणालियों और उपकरणों पर 15 मिनट की अवधि के ''अक्षय ऊर्जा और हम'' नामक रेडियो प्रायोजित कार्यक्रम का उत्पादन एवं प्रसारण हिंदी एवं 19 क्षेत्रीय भाषाओं (असमिया, बंगला, गुजराती, कोंकणी, कन्नकड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, तमिल, मराठी, मिजो, नगा, नेपाली, उडिया, पंजाबी, तेलगू, उर्दू और गारो) और राष्ट्रीय फिल्मी विकास निगम के माध्यम से ऑल इंडिया के 94 रेडियों स्टेशनों (37 विविध भारती, 20 एफएम रेनबो, 4 एफएम गोल्ड और 33 प्राथमिक चैनलों/स्थानीय स्टेशनों) से किया जा रहा है।

ii. 30 दिनों की अवधि के लिए एक दिन में चार शो के लिए प्रत्येक शो में प्रत्येक स्थान के दो बार के लिए 33 राज्यों/संघ राज्यों में एनएफडीसी के माध्यम से 1500 सिनेमा हॉल में 30 सेंकड की अवधि के ''ऑन स्क्रीन डिजिटल सिनेमा विज्ञापन मीडिया'' पर विडियो स्पॉट के साथ प्रचार अभियान।

iii. दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा प्रणालियों और उपकरणों पर 30 सेंकड की अवधि के विडियो स्पॉट के साथ प्रचार अभियान।

iv. मंत्रालय के द्वि–मासिक न्यूजलेटर ''अक्षय ऊर्जा'' का प्रकाशन अंग्रेजी और हिंदी में जारी रखा गया है।

v. दिल्ली के लिए सौर रूफटॉप प्रणालियों पर दिनांक 28.01.2018 के डीएवीपी के माध्यम से समाचार पत्रों में जारी विज्ञापन।

vi. मंत्रालय ने ''अक्षय ऊर्जा'' अभियानों के प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) को आगे बढ़ाने के लिए क्रिएटिव विजन और रणनीति विकसित करने के क्रम में, मंत्रालय ने वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए मंत्रालय की आवश्यक सृजनात्मक एवं प्रचार सामग्री के उत्पादन और डिजाइनिंग के लिए एक क्रिएटिव एजेंसी नियुक्त करने के लिए आमंत्रित किया है।

योजना एवं समन्वय

10.4 योजना एवं समन्वय प्रभाग मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों के समग्र आयोजन एवं समन्वय, योजना और वार्षिक बजटिंग के साथ सुधार, नीति उपायों, राजकोषीय रियायत आदि से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। इसके

कार्यों में मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य नोडल एजेंसियां आदि के साथ नियमित आधार पर नजदीकी संपर्क बनाए रखना शामिल है।

10.5 वर्ष 2017–18 के दौरान, इस प्रभाग द्वारा किए गए प्रमुख कार्यकलापों में मंत्रालय की अनुदान मांगों से संबंधित ऊर्जा पर स्थायी समिति हेतु पृष्ठ भूमि टिप्पणी/आलेखों की तैयारी तथा जांच हेतु चयनित अन्य विशिष्ट विषय प्रमुख उपलब्धियों/नई पहलों की प्रधानमंत्री कार्यालय और केबिनेट सचिवालय/प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी)/नीति आयोग की रिपोर्ट/डेटाबेस तैयार करना। विभिन्न बैठकों के लिए बहुपक्षीय इनपुट/संक्षिप्त विवरण की तैयारी, मंत्री/सचिव के भाषणों, वीआईपी संदर्भ तथा अन्य आरटीआई/प्रश्नावली का जवाब और कई योजनाओं/कार्यक्रमों/पॉलिसी मुद्दों संबंधित संसदीय प्रश्न , राज्य सरकार/कार्यान्वित एजेंसियों के साथ नियमित सामान्य बैठकों/सम्मेलन का संदेश देना, मंत्रिमंडल के मसौदे पर मंत्रालय की टिप्पिणयां, वर्ष 2017–18 के लिए परिणाम बचत की तैयारी, आर्थिक सर्वेक्षण, कार्रवाई की गई रिपोर्ट आदि शामिल है।

मानव संसाधन विकास

10.6 एमएनआरई मानव संसाधन विकास (एचआरडी) की योजना सभी स्तरों पर जनशक्ति प्रशिक्षण को समर्थन करती है जिसमें उच्च शिक्षा/अनुसंधान पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने सहित अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान और विकास/शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों/विद्वानों को फैलोशिप उपलब्ध कराई जा रही है। नवीन और अक्षय ऊर्जा में एमएससी, एम.टेक, पीएचडी जैसे उच्चतर डिग्री पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए अनुसंधान और विकास/शैक्षणिक संस्थानों को उनके पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। सूर्यमित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम को सौर परियोजनाओं के संस्थापना, कमीशनिंग और संचालन एवं रख–रखाव के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैयार करने हेतु कौशल विकास कार्यक्रम के रूप में वर्ष 2015 में शुरू किया गया था।

10.7 एचआरडी योजना के विभिन्न घटक निम्न हैं:

i) विकास को ध्यान में रखते हुए अक्षय ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं पर अल्पकालिक प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए शैक्षिक और अन्य संगठनों के लिए समर्थन।

ii) फैलोशिप
   (क) एमएससी/एमटेक/पीएचडी/पीडीएफ डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा फैलोशिप योजना।
   (ख) सौर ऊर्जा में एक नवीन विचार के साथ अनुसंधान संस्थानों में काम करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिकों के लिए राष्ट्रीय सौर विज्ञान फैलोशिप योजना।

iii) प्रयोगशाला पुस्ताकालय उन्नयन के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को सहायता।

iv) सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम।

v) विशेषज्ञों/विशेषज्ञ संस्थानों के माध्यम से पाठ्यक्रम/अध्ययन सामग्री का विकास।

राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा फैलोशिप कार्यक्रम

10.8 राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा फैलोशिप योजना के तहत फैलोशिप/वत्तिका प्रदान करने के माध्यम से मंत्रालय ने 16 चयनित शैक्षिक संस्थानों के अक्षय ऊर्जा में एमएससी, एमटेक, पीएचडी, पीडीएफ पाठ्यक्रमों के रूप में उच्च अध्ययनों के लिए छात्रों/विद्वानों को अपनी सहायता प्रदान करना है। सौर ऊर्जा में एक अभिनव विचार के साथ शोध संस्थानों में काम करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय सौर विज्ञान फैलोशिप से सम्मानित किया जाता है। अभी तक पीएचडी के लिए एमएनआरई द्वारा दिए गए 140 फैलोशिपों में से अब तक 80 लोगों को पीएचडी डिग्री प्राप्त हो गई है, जिसमें वर्ष 2017–18 के 18 अध्यता जिन्होंने पीएचडी डिग्रेसिन प्राप्तं की, 11 छात्रों को एमटेक की डिग्री प्राप्त की, वर्ष 2017–18 में 10 को एमएससी डिग्री मिलना शामिल है। इन अध्यताओं/छात्रों ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय

पत्रिकाओं में 540 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। इसके अलावा सेमिनारों में 156 पत्र पेश किए हैं। तीन पेटेंट भी दायर किए गए थे। सहायित संस्थानों की सूची नीचे तालिका में दी गई है:

आवंटित संस्थान

क्र. सं.	एमएससी, एमटेक, पीएचडी, पीडीएफ और एनएसएसएफ के लिए फैलोशिप का आवंटन करने वाले संस्थान
1	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
2	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की
3	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
4	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर
5	अन्ना विश्वविद्यालय, तमिलनाडु
6	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की
7	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र
8	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडुचेरी
9	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, तमिलनाडु
10	श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटरा, जम्मू और कश्मीर
11	जादवपुर विश्व विद्यालय, कोलकाता
12	कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोचीन
13	भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिपबूर, पश्चिम बंगाल
14	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान मानित विश्वविद्यालय, तमिलनाडु
15	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
16	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल), सीएसआईआर, नई दिल्ली

10.9 राष्ट्रीय सौर विज्ञान अध्यताओं (एनएसएसएफ) के एक भाग के रूप में, डा. एल्ड्रिन एंटनी, अध्यता ने वर्तमान वर्ष में फैलोशिप कार्यकाल को पूरा किया। उनका काम मुख्य रूप से थिन फिल्म सिलिकॉन सोलर सैल्स पर केन्द्रित है और सिलिकॉन हेटेरो जंक्शन सोलर सैल्स का एक नया कार्य शुरू किया गया है और सिलिकॉन हेटेरो जंक्शन सौलर सैल्स के निर्माण के लिए एक नया कार्य आरंभ किया गया है और नये पीईसीवीडी–कण क्षेपण प्रणाली का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय सौर विज्ञान फैलोशिप से सम्मानित किए गए तीन सौर विज्ञान फैलोशिपों ने चार पेटेंट फाइल किए हैं और एक फाइलिंग की प्रक्रिया में है।

पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का संवर्धन

10.10 मंत्रालय ने वर्तमान वर्ष में दो संस्थान नामतः पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, गांधीनगर और तेजपुर विश्वविद्यालय, असम की प्रयोगशाला और पुस्तकालय सुविधाओं को उन्नत बनाने में अपनी सहायता प्रदान की।

प्रशिक्षण

10.11 विभिन्न स्तरों और लक्ष्य समूहों के साथ लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु मंत्रालय ने पांच संस्थानों का समर्थन जारी रखा है। सौर प्रणालियों के लिए महिलाओं का प्रशिक्षण (233 महिलाओं को कवर करने वाले 10 पाठ्यक्रम) बेयरफुट कॉलेज, टिलोनिया, सतत विकास के लिए केन्द्र (सीएसडी), बंगलौर पर सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम और आरई कानून एवं प्रबंधन कार्यक्रम, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल एनर्जी डेवलपमेंट (एमजीआईआरईडी), बंगलौर पर सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के साथ–साथ आरई जागरूकता कार्यक्रम (6 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के तहत, एमएलए,

एमएलसी, सीईओ, इंजीनियर्स, जेडपी, टीपी, जीपी निर्वाचित प्रतिनिधियों के 80 प्रशिक्षण कार्यक्रम) उच्च, शिक्षा के गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, तमिलनाडु से सौर ऊर्जा पर सर्टिफिकेट कोर्स और ऑपरेटरस ट्रैनिंग प्रोग्राम (संख्या 53) कोजनरेशन एसोशिएशन ऑफ इंडिया, पूणे, में दिए गए। वर्तमान वर्ष में केंद्रीय इलेक्ट्रोडनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद ने मंत्रालय द्वारा समर्थित सौर पीवी संस्थापन में 6 महिने के प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया है।

बेयरफुट कॉलेज द्वारा प्रशिक्षित सोलर मामा एक कंट्रोलर की मरम्मत करते हुए

बेयरफुट कॉलेज द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सर्किट के साथ व्यस्त ग्रामीण महिलाएं

सूर्यमित्र प्रशिक्षण

10.12 पूरे देश के विभिन्न राज्यों में 177 प्रशिक्षण केन्द्रो/संगठनों के माध्यम से सूर्यमित्र प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। दिनांक 31 मार्च, 2017 तक 11013 सूर्यमित्र को प्रशिक्षण दिया गया है। वर्तमान वर्षों के दौरान 2208 सूर्यमित्र प्रशिक्षित किए गए हैं और वर्ष 2017–18 के 10,000 लक्ष्य की तुलना में दिनांक 31.12.2017 तक 2974 प्रशिक्षणाधीन हैं।

शासन प्रबंध – ई–शासन, सतर्कता, पुस्तकालय, सूचना का अधिकार

ई–शासन

10.13 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र भारत सरकार का एक प्रमुख एस एंड टी संस्थान है जो सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं, एकीकृत सेवाओं और वैश्विक समाधान को अपनाते हुए ई–सरकार/ई–सरकार समाधान प्रदान करने के लिए सरकार के ''सूचना विज्ञान आधारित विकास'' कार्यक्रम में एक सक्रिय उत्प्रेरक और सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करता है।

मोबाइल ऐप – अरुण – अटल रूफटॉप सौर यूजर नेविगेटर

10.14 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने आम जनता सौर रूफटॉप संस्थापनाओं को बढ़ावा देने के लिए ''अरुण– अटल रूफटॉप सौर यूजर नेविगेटर'' नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है ।

10.15 अरुण आवासीय और गैर–आवासीय उपभोक्ताओं को बुनियादी ढांचे, राज्य विशिष्ट रूपरेखा और रूफटॉप सौर कार्यान्वयन के बारे में जानने के लिए सक्षम होगा ।

10.16 यह एमएनआरई और राज्यों की सभी रूफटॉप सौर सूचना, योजनाओं और नीतियों को एक साधारण तरीके से सुलभ प्लेटफार्म पर लाता है जहां उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थापनाओं का अनुरोध भी रख सकते हैं । यह सौर रूफटॉप से संबंधित एमएनआरई द्वारा प्रकाशित वर्तमान परिपत्र/अधिसूचना भी उपलब्ध कराएगा।

''अरुण'' की विशेषताएं

10.17 मोबाइल एप्लिकेशन अरुण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:–

- रूफटॉप सौर प्रणाली को संस्थापित करने के बारे में मौलिक ज्ञान और दिशानिर्देश प्रदान करता है;
- उपयोगकर्ता को मूलभूत विवरणों जैसे उपलब्ध रूफटॉप क्षेत्र क्षमता की आवश्यकता या बजट उपलब्ध, रूफटॉप सौर कैलक्यूलेटर का उपयोग करते हुए प्रारंभिक आकलन जारी रखने में सक्षम रखता है;
- साधारण संस्थापना अनुरोध फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन रुचि आवेदन स्वीकार करता है;
- प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में लागू योजना, अधिनियम और पॉलिसी का सारांश;
- राज्य नोडल एजेंसियों और चैनल पार्टनर्स के संपर्क नंबरों के लिए एक टैप वॉयस कॉल सुविधा;
- सौर रूफटॉप संस्थापनाओं के बारे में लगभग सभी संदेहों को अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों द्वारा दूर करना;
- एमएनआरई से जारी की गई परिपत्र/अधिसूचना तुरंत देखी जा सकेगी।

एमएनआरई को प्रतिक्रिया और सुझाव प्रस्तुत करने का प्रावधान

10.18 दिनांक 24 जनवरी, 2017 को मोबाइल एप्लिकेशन का एंड्रॉइड वर्जन शुरू किया गया ।

10.19 देश में रूफटॉप सौर प्रणालियों की संस्थापना के लिए जागरुकता पैदा करने और जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित एक ''अरुण – अटल रूफटॉप सौर यूजर नेविगेटर'' शुरू की है । मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ 24 जनवरी, 2017 को शुरू किया गया था।

10.20 अरुण का आईओएस संस्करण 24/03/2017 को शुरू किया गया था। अब अरुण दोनों प्लेटफार्मों में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।इसे संबंधित स्टोरों से या लिंक पर क्लिक करके एंड्रॉयड https://goo.gl/hX3Xxj और आईओएस https://goo.gl/zHKydB से डाउनलोड किया जा सकता है।

लघु पनबिजली परियोजना के लिए ऑनलाइन आवेदन

10.21 लघु पनबिजली परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कार्यान्वयन के अधीन है। इस एप्लिकेशन के माध्यम से डेवलपर एमएनआरई में पंजीकरण और डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) जमा करा सकते हैं। यह आवेदन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए डीपीआर जमा करने से सही निगरानी करेगा। ऐसी विभिन्न योजनाएं हैं और प्रत्येक योजना 4 साल से पहले पूरी की जानी है। परियोजनाओं को पूर्ण करने में देरी हो सकती है। यह पोर्टल सभी

परियोजनाओं की स्थिति और डेवलपर्स को जारी सब्सिडी के वितरण की निगरानी करेगा। यह गैर–सरकारी संगठन दर्पण पोर्टल के साथ भी इस तरह से एकीकृत है कि सब्सिडी के वितरण से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि गैर–सरकारी संगठन को दर्पण पोर्टल में पंजीकरण करना चाहिए। एक बार यह पोर्टल अस्तित्व में आ जाए एमएनआरई इस एप्लीकेशन के माध्यम से प्रत्येक योजनाओं की निगरानी करने में सक्षम होगा और संसद, आरटीआई आदि की विभिन्न जानकारियों के उत्तर देने में आसानी होगी। योजना पूर्ण होने की अवधि 4 साल है, एमएनआरई के लिए किसी भी समय प्रत्येक परियोजना की सटीक स्थिति का पता लगाना आसान होगा।

मंत्रालय की वेबसाइटः (http://mnre.gov.in)

(जी–2–सी) अनुप्रयोग

10.22 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की वेबसाइट नवीनतम आईसीटी टूल का उपयोग कर डिजाइन की गई थी । वेबसाइट में जानकारी जैसे मंत्रालय की योजनाएं/कार्यक्रम, सौर वॉटर हीटर सिस्टम, एसपीवी, प्रमुख उपलब्धियां, ग्रिड इंटरैक्टिव और ऑफ ग्रिड/वितरित अक्षय ऊर्जा परियोजना, अनुसंधान, डिजाइन और प्रौद्योगिकी विकास (आरएंडडी) अधिसूचनाएं, परिणाम ढांचा दस्तावेज, नागरिक चार्टर, नवीन और अक्षय ऊर्जा प्रेस विज्ञप्ति के सहयोग के लिए भारत और अन्य देशों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की सूची, निविदाएं और विज्ञापन, महत्वपूर्ण घटनाएं/विकास आदि शामिल है।वेबसाइट नई सुविधाओं को जोड़कर नियमित रूप से समृद्ध है और एनआईसी द्वारा प्रबंधित/अनुरक्षित है।

व्यय प्रबंधन प्रणाली

10.23 प्रगतिशील वित्तीय सहयोगों की निगरानी के लिए ऑनलाइन आवेदन और सभी विभागों के व्यय को डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित किया गया है। अन्य प्रासंगिक जानकारी सहमति डेटा के डिजिटाइजेशन शीघ्र और कुशल तरीके से वित्तीय मंजूरी/रिलीज के टैब द्वारा विभागों की जरूरतों को पूरा करते हैं। यह वित्तीय मुद्दों से संबंधित डेटा की पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल करता है।

10.24 यह आवेदन सभी विभागों के व्यय की गति की निगरानी में मदद करता है।

- विभाग एक वास्तविक समय आधार पर सहमति देख सकता है।
- प्रत्येक विभाग द्वारा व्यक्तिगत रूप से अनुरक्षित व्यय रजिस्टर के लिए केंद्रीय भंडार के रूप में विकल्प।
- सहमति/व्यय सारांश रिपोर्ट की ऑनलाइन पहुंच प्रदान करता है।
- यह विभाग/योजनाएं/फाइलों को इंगित करता है जहां आईएफडी द्वारा सहमति के बावजूद विज्ञप्ति प्रभावित नहीं होती हैं।

ई–ऑफिस

10.25 यह एक वेब–आधारित प्रणाली है जिसका मंत्रालय में फाइलों और प्राप्तियों के संचालन के प्रभावी ऑनलाइन निगरानी के लिए कार्यान्वयन और अनुरक्षण रखा गया है। एनआईसी का ई – ऑफिस उत्पाद एक ओपन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क पर आधारित है जिसमें स्केलिंग और गतिशील जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक लचीलापन शामिल है। कार्यगति (वर्कफ्लो) और फाइलक्रम आधारित नियम, पहुंच तंत्र आधारित भूमिका,दस्तावेजों के केंद्रीय भंडार, इलेक्ट्रॉनिक फाइल संचार और ऑनलाइन फार्म जैसी सुविधाएं निकट–कागज रहित कार्यालय बनाने में मदद करती है। सिस्टम के बीच सूचना साझा करना, प्रभावी निर्णय लेने की ओर जाता है। मंत्रालय के अधिकारियों को उनकी आवश्यकता अनुसार समय–समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। ई–ऑफिस पूरी तरह से मंत्रालय में कार्यान्वित किया गया है।

वीडियो कॉन्फरेंसिंग सुविधा के माध्यम से परियोजना निगरानी

10.26 मंत्रालय में एक स्टूडियो आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) प्रणाली कार्यान्वित की गई है। सभी राज्य नोडल एजेंसियां, सचिव द्वारा डेवलपर्स और विनिर्माता, संयुक्त सचिव, मंत्रालय के सलाहकार और निदेशकों के साथ मंत्रालय के विभिन्न नए कार्यक्रमों की निगरानी के लिए मंत्रालय में वीसी का उपयोग सक्रिय रूप से किया जाता है। इस वर्ष हमने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विडियों सम्मेलनों का आयोजन किया है।

प्रगति (सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन) :

10.27 प्रधानमंत्री प्रत्येक चौथे बुधवार को विडियो कॉफेंसिंग के माध्यम से परियोजना की समीक्षा कर रहे हैं। मंत्रालय ने विडियो कॉफेंसिंग के माध्यम से सभी कार्यक्रमों में भाग लिया। इसमें सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

सतर्कता

10.28 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के सतर्कता प्रभाग को भारत सरकार और केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी किए गए विभिन्न नियमों, दिशानिर्देशों और अनुदेशों के अनुसार भ्रष्टाचार विरोधी उपाय करने का दायित्व सौंपा गया है। मंत्रालय की सतर्कता शाखा अपने कामकाज में न केवल मंत्रालय के भीतर ऐसे कार्यकलापों को देखता है बल्कि इसके तीन स्वायत्तशासी निकायों, नामतः राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाइस), राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (नीवे) और राष्ट्रीय बायो ऊर्जा संस्थान (नीबे) के साथ–साथ ही इसके दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नामतः भारतीय सौर ऊर्जा निगम (सेकी) और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के निदेशक स्तर के पदों के भी कार्यकलापों की देख–रेख करता है। भ्रष्टाचार विरोधी उपाय करने के लिए अतिरिक्त इस प्रभाग को मंत्रालय के सभी अधिकारियों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों के रख–रखाव के साथ–साथ आईएएस एवं सीएसएस अधिकारियों के लिए स्पैरो के अधीन एपीएआर के अभिरक्षक के रूप में कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है।

10.29 वर्ष 2017 के दौरान 22 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 8 लंबित हैं जिसके लिए कार्रवाई की जा रही है।

10.30 मंत्रालय में 30 अक्तूबर, 2017 से लेकर 4 नवंबर, 2017 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए:

i. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अपर सचिव द्वारा 30.11.2017 को 11बजे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्य निष्ठा की शपथ दिलाना।

ii. मंत्रालय के अधिकारियों के लिए सतर्कता मामलों और एफआर 56 (जे) के महत्व पर आईएसटीएम के पूर्व संकाय सदस्य द्वारा विशेषज्ञ व्याख्यान।

iii. मंत्रालय के अधिकारियों के लिए **''भारत में भ्रष्टाचार–दोषी कौन?''** पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन ।

iv. भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और निवारक सतर्कता पर नारों और बैनरों को मंत्रालय के परिसर में लगाया गया।

10.31 निवारक सतर्कता के अंग के रूप में, मंत्रालय के संवेदनशील और गैर–संवेदनशील पदों की एक सूची तैयार की गई है और मंत्रालय के प्रशासनिक प्रभाग से तैनातियों में रोटेशन नीति का पालन करने के लिए अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, खरीद के लिए ई–निविदा और विकासशील मानकों पर भी जोर दिया गया।

10.32 इस मंत्रालय के संबंध में ई–पोर्टल पर संभावित मामलों को अपलोड किया गया था और इसके स्वायत्त संगठन और बोर्ड स्तर के अधिकारियों के संबंध में सतर्कता से संबंधित जानकारी ई–पोर्टल एसओएलवीई पर मासिक अद्यतन किया जा रहा है।

पुस्तकालय

10.33 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के पुस्तकालय अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संदर्भ केंद्र और ज्ञान के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में लगभग 15230 पुस्तकें (उपहार पुस्तकों सहित) पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, जिनमें निम्नलिखित विषय अक्षय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विज्ञान, सतत विकास, इतिहास, समाजशास्त्र, भारतीय साहित्य, कम्प्यूटर विज्ञान आदि शामिल हैं। इन पुस्तकों के अलावा पुस्तकालय में 17 प्रशासनिक पुस्तकें शामिल की गई हैं। पुस्तकालय के संग्रह में सामान्य हितों की पुस्तकें जैसे भोजन, रसोई, मूर्तिकला, पेंटिग, पर्वतारोहण आदि शामिल हैं।

10.34 मंत्रालय में गठित पुस्तकालय समिति ने पुस्तकालय द्वारा खरीद के लिए पुस्तकों की जांच और सिफारिश की है।

10.35 वर्तमान में पुस्तकालय हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में 41पत्रिकाओं को स्वीकार कर रहा है। इसके अलावा, आवश्यकता के अनुसार, पुस्तकालय द्वारा हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कुल 24 समाचार पत्रों को भी स्वीकार किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम

10.36 मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), केंद्रीय सूचना आयोग और गृह मंत्रालय के निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 को लागू कर रहा है । आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगने संबंधी प्रक्रिया/अन्य विवरण एमएनआरई वेबसाइट www.mnre.gov.in पर उपलब्ध हैं ।

10.37 मंत्रालय ने आरटीआई आवेदनों का जवाब देने के लिए केन्द्रीय लोक प्राधिकरण (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) को नामित किया है और उनको विषयानुसार पहली अपील के लिए निर्दिष्ट् किया है।

10.38 आरटीआई आवेदनों/प्रथम अपीलों के मामले में प्रगति रिपोर्ट, अवधि के साथ निपटारे के साथ–साथ लंबित अवधि (01.01.2017 – 31.12.2017) नीचे दी गई है।

(आंकड़े संख्या में)

मद	प्राप्त किया	खत्म कर दिया	31.12.2017 को लंबित
आरटीआई आवेदन	1054	1027	27
पहली अपील	252	249	03

कार्य के पुनः आवंटन के आधार पर नामित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की सूची (11.01.2018 तक)

क्र. सं.	विषय	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण
1	स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) सहित जलवायु परिवर्तन संबंधी पहल, अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) संबंधित मुद्दों, आरईसी नीति, आईएनएसपीए, एनसीईएफ, हाइड्रोजन, ईंधन सेल और आईआरईपी, इलेक्ट्रिकल वाहन और नेशनल बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नई तकनीक, सूचना और सार्वजनिक जागरूकता और अक्षय के विशिष्ट संदर्भ ऊर्जा नीति और विनियम	श्री दीपेश फेरवानी, वैज्ञानिक 'बी'	डॉ. पी.सी. मैथानी, वैज्ञानिक 'जी'
2	योजना और समन्वय, इरेडा	श्री अनुभव उप्पल, वैज्ञानिक 'बी'	डॉ. पंकज सक्सेना, वैज्ञानिक 'एफ'
3	आरई विश्वविद्यालय आरई संग्रहालय और राष्ट्रीय नवीन ऊर्जा केन्द्र के नए संस्थानों की स्थापना,महिलाओं की स्थायी ऊर्जा के लिए ईएपी संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं और यूएनईपी के साथ उद्यमशीलता, ग्रिडिनटरएक्टिव नीति बायोमास पावर जेनरेशन के लिए बाधाओं पर यूएनडीपी/जीईएफ परियोजना , ग्रिड इंटरएक्टिव पॉलिसी	श्री विजय कुमार भारती, वैज्ञानिक 'बी'	श्री वी.के. जैन, वैज्ञानिक 'जी'
4	अपशिष्टि से ऊर्जा	श्री विजय कुमार भारती, वैज्ञानिक 'बी'	डा. डी. के. खरे, वैज्ञानिक 'एफ'
5	आइलैंड्स की हरित, स्वीडिश एनर्जी एजेंसी, अंडमान परियोजनाएं	श्री विजय कुमार भारती, वैज्ञानिक 'बी'	श्री रुचिन गुप्ता, उप–सचिव
6	किसानों के लिए सौर योजना, हरित ऊर्जा कॉरिडोर, भूतापीय, महासागर/ज्वार	श्री रोहित ठकवानी, वैज्ञानिक 'बी'	श्री गिरीश कुमार, वैज्ञानिक 'ई'
7	सौर थर्मल ग्रुप– सौर कॉन्सन्टरेटर और सोलर कुकर	श्री अरविंद एमए, वैज्ञानिक 'बी'	डॉ. आरपी गोस्वामी, वैज्ञानिक 'एफ'
8	बायोगैस पावर, राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम, बायोगैस प्रशिक्षण केंद्र और बायोगैस आरएंडडी	श्री एस. आर. मीना, वैज्ञानिक 'सी'	श्री जी.एल. मीना, वैज्ञानिक 'जी'
9	आईटीईसी नवाचार केंद्र, सहित एचआरडी और प्रशिक्षण अनुसंधान एवं विकास समन्वय, लैब नीति, मानक और गुणवत्ता नियंत्रण	श्रीमती वसंत वी. ठाकुर, वैज्ञानिक 'डी'	डॉ. बी.एस. नेगी, वैज्ञानिक 'जी'
10	ऑफ–ग्रिड सोलर, कृषि पम्प योजना,स्ट्रीट लाइट, होम लाइट	श्री शोभित श्रीवास्तव, वैज्ञानिक 'सी'	श्री जीवन कुमार जेठानी, वैज्ञानिक 'ई'
11	लघु पन परियोजनाएं (निजी क्षेत्र),उत्तराखंड , के लघु पन परियोजना (सरकारी क्षेत्र), पूर्वोत्तर राज्य के पन चक्की , मिनीहाइडल की लघुपन परियोजनाएं	श्री एस. के. शाही, वैज्ञानिक 'सी'	डा. पी.सी. पंत, वैज्ञानिक 'एफ'
12	वीजीएफ स्कीम, जीबीआई	श्री नीरज कुमार, वैज्ञानिक 'सी'	श्री बी. एल. राम, वैज्ञानिक ''जी''

13	ऊर्जा भंडारण, ई–मोबिलिटी और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और अक्षय ऊर्जा नीति और विनियमों के विशिष्ट संदर्भ	श्री तरुण सिंह वैज्ञानिक 'सी'	डॉ. पी.सी. मैथानी, वैज्ञानिक ''जी''
14	सौर रूफटॉप	श्री हिरेन बोराह, वैज्ञानिक 'सी'	श्री जीवन कुमार जेठानी, वैज्ञानिक 'ई'
15	लघु पवन ऊर्जा, ऑफ–शोर विंड, पवन संसाधन आकलन, पवन ऊर्जा के संबंध में राजकोषीय प्रोत्साहन (सीसीडीसी और ईडीईसी) (रियायती सीमा शुल्क प्रमाण पत्र, उत्पांद शुल्क से छूट संबंधी प्रमाणपत्र)	श्री पी. के. दास वैज्ञानिक 'सी'	श्री जी. उपाध्याय वैज्ञानिक 'एफ'
16	पवन ऊर्जा, पवन आरपीओ (अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता),आरईसी (अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र),नीवे	श्री ए. हरि भास्करन, वैज्ञानिक 'सी'	श्री जी. उपाध्याय वैज्ञानिक 'एफ'
17	सौर (आर एंड डी), (एसटी एंड एसपीवी), सोलर वॉटर हीटर, सौर थर्मल ग्रुप –फ्लैट प्लेट/निष्क्रमित ट्यूब संग्राहक/गैर केंद्रित संग्राहक प्रणाली – एयर हिटर, ड्रायर्स, प्रत्यक्ष कुकिंग प्रणाली और क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र से संबंधित आवेदन से संबंधित सभी मुद्दें	श्री अनिल कुमार, वैज्ञानिक 'सी'	श्री आई.पी. सिंह, वैज्ञानिक 'एफ'
18	एनटीपीसी भवन योजना, सौर विनिर्माण योजना, औद्योगिक क्लस्टर, औद्योगिक डीजल प्रतिस्थापन, संस्थापनाओं के रेल मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, और पेट्रोलियम मंत्रालय के अक्षय ऊर्जा समन्वय कार्य के साथ जैसे क्षेत्रों को संभालने के लिए नोडल ऑफिसर	श्री संजय करन्धर, वैज्ञानिक 'सी'	श्री बी. के. भट्ट, वैज्ञानिक 'जी'
19	सीसीडीसी सौर विद्युत	श्री अरुण कुमार, वैज्ञानिक ''सी''	श्री आनंद नरवाने, वैज्ञानिक 'ई'
20	सौर शहर कार्यक्रम हरित भवन	श्री अरुण कुमार, वैज्ञानिक ''सी''	श्री बी. के. भट्ट, वैज्ञानिक 'जी'
21	बायोमास कुकस्टोव , एसएसएस– नीबे,	डॉ. प्रीति कौर, वैज्ञानिक 'डी'	डॉ. डी.के. खरे, वैज्ञानिक 'एफ'
22	अक्षय ऊर्जा – निवेश का संगठन	पीसी पंत, वैज्ञानिक 'एफ'	श्री भानु प्रताप यादव, संयुक्त सचिव
23	ग्रिड–संबद्ध सहित ग्रामीण क्षेत्र, उद्योग के लिए ऊर्जा परियोजना आधारित बायोमास गैसीफायर	डॉ. डी.के. खरे, वैज्ञानिक 'एफ'	श्री ए. एन. शरण, संयुक्त सचिव
24	डीबीटी सेल	श्री सोहेल अख्तर, वैज्ञानिक 'जी'	श्री भानु प्रताप यादव, संयुक्त सचिव
25	एनआईसी मामले, डैशबोर्ड और ई–ऑफिस से संबंधित कार्य	श्री एस. के. जगवानी वैज्ञानिक 'एफ'	श्री भानु प्रताप यादव, संयुक्त सचिव
26	बायोगैस से संबंधित जीएसटी	श्री एस. आर. मीना, वैज्ञानिक 'सी'	श्री रुचिन गुप्ता, उप–सचिव
27	पवन सीडीसी/ ईडीई से संबंधित जीएसटी	श्री पी. के. दास, वैज्ञानिक 'सी'	श्री रुचिन गुप्ता, उप–सचिव

28	सॉल्डर सीडीसी/ईडीई से संबंधित जीएसटी	श्री अरुण कुमार, वैज्ञानिक 'सी'	श्री रुचिन गुप्ता, उप–सचिव
29	ग्रिड सिल्लर से संबंधित जीएसटी	श्री संजय करणधार, वैज्ञानिक 'सी'	श्री रुचिन गुप्ता, उप–सचिव
30	ऑफ ग्रिड सौर से संबंधित जीएसटी	श्री शोभित श्रीवास्तव, वैज्ञानिक 'सी'	श्री रुचिन गुप्ता, उप–सचिव
31	बायोमास से संबंधित जीएसटी	सुश्री प्रिया, वैज्ञानिक 'बी'	श्री रुचिन गुप्ता, उप–सचिव
32	बायोमास विद्युत योजना और नीति, बायो ऊर्जा मिशन	श्री एस. के. खुराणा, अवर सचिव	डॉ. जी. प्रसाद, वैज्ञानिक 'एफ'
33	सेमिनार सिंपोजिया	रघुनाथ, अवर सचिव	श्रीमती अलका जोशी, उप–सचिव
34	आई एंड पीए	रघुनाथ, अवर सचिव	डॉ. पी.सी. मैथानी, वैज्ञानिक 'जी'
35	सतर्कता	सुश्री सुनीता धेवाल, अवर सचिव	श्री रुचिन गुप्ता, उप–सचिव
36	राष्ट्रीय सौर मिशन, सौर आरपीओ (अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता), आरईसी (अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र), सौर पार्क, रक्षा योजनाएं,	श्री देवेंद्र सिंह, अवर सचिव	श्री दिलीप निगम, वैज्ञानिक 'जी'
37	दिशानिर्देश और एसबीडी, सीपीएसयू स्कीम, ग्रिड कनेक्टेड पीवी और एसटी–1 कैनाल टॉप सौर परियोजना, नाइस , सेकी	श्री देवेंद्र सिंह, अवर सचिव	श्री रुचिन गुप्ता, उप–सचिव
38	अंतर्राष्ट्रीय संबंध (आईआर)	श्री सचिन तुलसी, अवर सचिव	डॉ. डी. के. खरे, वैज्ञानिक 'एफ'
39	राज्य मंत्री के कार्यालय (आईसी), एनआरई	श्री सचिन तुलसी, अवर सचिव	श्री ए. एन. शरण, संयुक्त सचिव
40	संसद का कार्य,	श्री ए.के. सिंह, अवर सचिव	डा. पंकज सक्सेना, वैज्ञानिक 'एफ'
41	लोक शिकायतें	श्री ए. के. सिंह, अवर सचिव	श्रीमती अलका जोशी, उप–सचिव
42	शासन प्रबंध	श्री अरविंद पोखरियाल, अवर सचिव	डॉ. जी. प्रसाद, वैज्ञानिक 'एफ'
43	एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी)	श्री के. जी. सुरेश कुमार, अवर सचिव	सुश्री गार्गी कौल, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार
44	एसएडीपी, अक्षय ऊर्जा शॉप, आरटीआई, हिंदी, पुस्तकालय	श्रीमती अलका जोशी, उप–सचिव	सुश्री सुतापा मजूमदार, आर्थिक सलाहकार
45	वेतन और लेखा कार्यालय, बजट	श्री केदार नाथ सीनियर एओ	श्री संजय पांडे, लेखा नियंत्रक

11: अन्तर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा सहयोग

अन्तर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा सहयोग

11.1 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ विकसित और विकासशील दोनों देशों से परस्पर विचार–विमर्श करता रहा है:–

क) उन्नत देशों से प्रौद्योगिकीय विकास और नीति और कार्यान्वयन में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को सीखना और अपनाना; और

ख) विदेशों में अपने प्रतिस्थानियों के साथ अक्षय ऊर्जा में भारतीय नीति नियोजकों, वैज्ञानिकों, कार्यान्वयनकर्त्ताओं और व्यापारिक समुदाय की जानकारी और विशेषज्ञता को साझा करना और उनका आदान–प्रदान करना तथा भारत के संस्थानों और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग ढांचे के माध्यम से संस्थागत संपर्क स्थापित करना।

11.2 वर्ष 2017–18 के दौरान मंत्रालय द्वारा अन्य देशों के साथ अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की गई। समझौता ज्ञापन (एमओयू)/सहयोग कार्यक्रम (पीओसी)/समझौतों/सहमति पत्रों (एलओआई) आदि पर हस्ताक्षर किए गए और एमएनआरई द्वारा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय बैठकों/संयुक्त कार्यदल की बैठकों का संयोजन किया गया और उनमें प्रतिभागिता की गई। द्विपक्षीय/बहुपक्षीय बैठकों में भाग लेने, समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने आदि के प्रयोजनार्थ माननीय मंत्री जी तथा वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर दौरे किए गए जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

समझौता ज्ञापन/सहमति पत्र/करारों आदि पर हस्ताक्षर

11.3 वर्तमान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 38 देशों के साथ 53 समझौता ज्ञापन (एमओयू)/करार/सहमति पत्र (एलओआई) चल रहे हैं। कार्यान्वयन हेतु संयुक्त कार्यकलापों की पहचान, चयन और निरूपण की निगरानी करने के लिए संयुक्त कार्यदलों (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया। इस प्रकार के अन्य देशों के साथ भी अन्य मंत्रालयों जैसे– विदेश मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय आदि के संयुक्त आयोगों/संयुक्त समितियों/संयुक्त कार्यदलों के माध्यम से संवाद किया जाता है। कई देशों के साथ द्विपक्षीय स्तर पर परस्पर सहमति से परियोजनाओं और सहयोग कार्यक्रमों की भी स्थापना की गई है यद्यपि उनके साथ कोई विशिष्ट समझौता ज्ञापन संपन्न नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत द्वारा विभिन्न बहुपक्षीय/त्रिपक्षीय सहयोग ढांचों, जैसे– दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क), दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संघ (आसियान), ब्राजील–रूस–भारत–चीन–दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स), भारत–ब्राजील–दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) आदि के अंतर्गत साझेदारी की जाती रही है।

11.4 मंत्रालय को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय निधिकरण एजेंसियों, जैसे– विश्व बैंक, न्यु डेवलपमेंट बैंक, केएफडब्ल्यू, अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ), जीआईजेड और वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) से सहायता प्राप्त होती है जो भारत में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए परियोजना आधारित सहायता उपलब्ध कराते हैं।

11.5 मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाइस) को शामिल कर अफ्रीकी और अन्य विकासशील देशों में विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। भारत के शीर्षस्थ संस्थानों, नामतः राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाइस), गुरुग्राम, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई, वैकल्पिक जल विद्युत केन्द्र (एएचईसी), आईआईटी, रुड़की और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बंगलुरु में भारत सरकार के आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु पन बिजली और बायोमास के क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

11.6 वर्ष के दौरान 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इनसे संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

- भारत गणराज्य की सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और पुर्तगाली गणराज्य के आर्थिक मामलों के मंत्रालय के बीच दिनांक 6 जनवरी, 2017 को नई दिल्ली, भारत में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- भारत गणराज्य के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा किंगडम ऑफ स्पेन के ऊर्जा, पर्यटन और डिजिटल एजेंडा मंत्रालय के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर मैड्रिड में दिनांक 30 मई, 2017 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- भारत गणराज्य की सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा इतालवी गणराज्य के पर्यावरण मंत्रालय के बीच दिनांक 30 अक्तूबर, 2017 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- भारत गणराज्य की सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा फिजी गणराज्य की सरकार के अवसंरचना और परिवहन मंत्रालय के बीच दिनांक 24 मई, 2017 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- भारत गणराज्य की सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा हेलेनिक गणराज्य के पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रालय के बीच दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

11.7 वर्ष 2017–18 के दौरान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग के एक भाग के रूप में निम्नलिखित बैठकें संपन्न हुई:–

(i) भारत–युनाइटेड किंगडम संयुक्त कार्यदल की बैठक दिनांक 8 फरवरी, 2017 को नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई।

(ii) भारत और म्यांमार के बीच पहले संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्यूजी) की बैठक दिनांक 21 मार्च, 2017 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली में संपन्न हुई।

(iii) संयुक्त राज्य अमेरिका – भारत ऊर्जा वार्ता – नवीन प्रौद्योगिकी और अक्षय ऊर्जा कार्यदल (एनटीआरई) की बैठक दिनांक 18 अप्रैल, 2017 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली में डीवीसी के माध्यम से संपन्न हुई।

(iv) भारत और इंडोनेशिया के बीच प्रथम संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) की बैठक 20 अप्रैल, 2017 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली में संपन्न हुई।

(v) यूरोपीय यूनियन (ईयू) – भारत "ऊर्जा" एवं "इकोसिटीज" संबंधी परियोजनाओं के लिए परियोजना संचालन समिति की बैठक दिनांक 20 अप्रैल, 2017 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली में संपन्न हुई।

(vi) भारत और बेल्जियम के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में द्वितीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्यूजी) की बैठक दिनांक 22 जून, 2017 को नई दिल्ली में डिजिटल वीडियो कांफ्रेंस (डीवीसी) के माध्यम से संपन्न हुई।

(vii) भारत और बेलारूस जेडब्ल्यूजी की बैठक दिनांक 24 अगस्त, 2017 को एमएनआरई, नई दिल्ली में डीवीसी के माध्यम से संपन्न हुई।

(viii) यूएनडीपी के तकनीकी सहायता कार्यक्रमों/परियोजनाओं की बैठक दिनांक 2 मई, 2017 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली में संपन्न हुई।

(ix) युनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री के जलवायु संबंधी मामलों के प्रतिनिधि, श्री निक ब्रिज की सचिव, एमएनआरई के साथ दिनांक 01 सितम्बर, 2017 को नई दिल्ली में बैठक हुई।

(x) माननीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के साथ दिनांक 26 सितम्बर, 2017 को नई दिल्ली में भारत–इंडोनेशिया संसदीय मैत्री दल की बैठक संपन्न हुई।

11.8 मंत्रालय को नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत रखने के लिए अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय विचार–विमर्श किए गए जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(i) 19 से 21 अप्रैल, 2017 तक भारत–फिनलैंड जेईसी के 18वें सत्र और स्लोवाक में भारत–स्लोवाक जेईसी का 9वां सत्र। बैठक के दौरान द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, विशेषकर ऑटो, ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग को और आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किए गए हैं।

(ii) 8–18 मई, 2017 तक कार्यान्वयन हेतु आनुषंगिक निकाय (एसबीआई–46) तथा वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी परामर्श हेतु आनुषंगिक निकाय (एसबीएसटीए–46) के 46वें सत्र और बॉन में पेरिस समझौते पर तदर्थ कार्यदल के पहले सत्र के तीसरे भाग (एपीए 1–3) के एक शिष्टमंडल के भाग के रूप में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से शिष्टमंडल।

(iii) माननीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के नेतृत्व में गठित शिष्टमंडल के एक भाग के रूप में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए धारणीय ऊर्जा हेतु क्षेत्रीय सहयोग पर 15–19 मई, 2017 तक संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) का 73वाँ वार्षिक सत्र।

(iv) अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में 22–25 मई, 2017 तक अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) परिषद की 13वीं बैठक और अन्य संबंधित बैठकें।

(v) चौथा भारत–जर्मनी अन्तर–सरकारी विचार–विमर्श (आईजीसी) बैठक 31 मई, 2017 से 1 जून, 2017 तक आयोजित की गई जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में 12 सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए।

(vi) 5–8 जून, 2017 तक एशिया सौर ऊर्जा फोरम (एएसईएफ) और एशिया स्वच्छ ऊर्जा फोरम (एसीईएफ) की 10वीं बैठक।

(vii) माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री, भारत सरकार के नेतृत्व में गठित शिष्टमंडल के भाग के रूप में 5–9 जून, 2017 तक बीजिंग, चीन में मिशन इनोवेशन, स्वच्छ ऊर्जा मिशन–8 और ब्रिक्स की बैठक।

(viii) 16 जून, 2017 को संयुक्त संचालन समिति की पहली बैठक में नेपीतॉ, म्यॉमार में आयोजित की गई।

(ix) भारत में पर्यावरण के लिए तकनीकी सहयोग परियोजना पर यूरोपीय यूनियन के तत्वावधान में आयोजित अध्ययन मिशन का आयोजन 17 से 24 जून, 2017 तक स्वीडन और जर्मनी में किया गया।

(x) एमएनआरई के प्रतिनिधि सहित एक तकनीकी दल द्वारा 26–28 जुलाई, 2017 तक मॉरिशस की ऊर्जा आवश्यकताओं का अध्ययन।

(xi) 12–15 सितम्बर, 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में एसपीआई एक्सपो, एनआरईएल तथा भारत अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा वित्तपोषण कार्यदल की उच्च स्तरीय बैठक और अन्य संबंधित कार्यक्रम।

(xii) दिनांक 29 सितम्बर, 2017 को यूनाइटेड किंगडम में लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लंदन में मसाला हरित बॉण्डों के बाजार उद्घाटन समारोह तथा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में संभावित निवेशकों जैसे– लाइट हाउस एवं एनर्जी एफिसियंसी सर्विसेज लि. के साथ विचार–विमर्श।

(xiii) 25 से 27 अक्तूबर, 2017 तक लंदन, यूनाइटेड किंगडम में भारत–यूके संचालन समिति की बैठक एवं भारत–यूके ऊर्जा वार्ता और अन्य संबंधित दौरे/बैठकें।

(xiv) 13–16 नवम्बर, 2017 को जर्मनी में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कनवेंशन (यूएनएफसीसीसी) के अंतर्गत पक्षों के सम्मेलन का 23वां सत्र (सीओपी–23)।

11.9 वर्ष 2017–18 के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए:–

(i) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) और ड्यूट्श गेसेलस्कैफ्ट फॅर इंटरनैशनेल ज्यूशामिनॉरबिट (जीआईजेड) के बीच भारत जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम / हरित ऊर्जा कॉरिडोर (आईजीईएन–जीईसी) पर 28 अगस्त, 2017 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में करार पर हस्ताक्षर।

भारत और जर्मनी के बीच भारत–जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम – हरित ऊर्जा कॉरिडोर (आईजीईएन–जीईसी) पर एक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

(ii) श्री के.एस. पोपली, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) और श्री गिरीश श्रीमाली, निदेशक, जलवायु नीति पहल (सीपीआई) के बीच 15 सितम्बर, 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका–भारत स्वच्छ ऊर्जा वित्तपोषण सुविधा (यूएसआईसीईएफ) संबंधी करार पर हस्ताक्षर।

इरेडा और सीपीआई के बीच अमेरिका–भारत स्वच्छ ऊर्जा वित्तपोषण सुविधा (यूएसआईसीईएफ) संबंधी करार पर हस्ताक्षर।

(iii) ड्यूट्श गेसेलस्कैफ्ट फर इंटरनैशनेल ज्यूशामिनारबिट (जीआईजेड) और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के बीच शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के वाणिज्यीकरण (कॉमसोलर) पर दिनांक 21.11.2017 को कार्यान्वयन करार के चौथे अनुयोजन पर हस्ताक्षर।

(iv) भारत–जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम – ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की सुलभता (आईजीईएन–एसीसीईएसएस) पर दिनांक 21 नवम्बर, 2017 को पूरक करार पर हस्ताक्षर।

विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

11.10 मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित विदेशी सहायता प्रदत्त परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:–

क) "ग्रामीण उत्पादक उपयोगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा की सुलभता में वृद्धि लाना" पर यूएनडीपी/जीईएफ सहायित परियोजना;

ख) ऊर्जा सुलभता नीति कोष (ईएपीएफ) पर डीएफआईडी सहायित परियोजना;

ग) "हरित ऊर्जा कॉरिडोर (जीईसी), अक्षय ऊर्जा स्रोतों का एकीकरण (आई–आरई) और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की सुलभता (एसीसीईएसएस)" पर जीआईजेड सहायित परियोजना;

घ) "स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा सुलभता को बढ़ावा देना" ("पीईएसीई"), उन्नत स्वच्छ ऊर्जा में साझेदारी (पीएसीई) और अमेरिका–भारत स्वच्छ ऊर्जा वित्तपोषण (यूएसआईसीईएफ) पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सहायित परियोजना।

11.11 प्रत्येक परियोजना का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

क) "ग्रामीण उत्पादक उपयोगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा की सुलभता में वृद्धि लाना" पर यूएनडीपी/जीईएफ सहायित परियोजना:

परियोजना का संक्षिप्त विवरण

11.12 इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य तीन राज्यों, असम, मध्य प्रदेश और ओडिशा के चुनिंदा जिलों में विद्युत की अनुपलब्धता तथा कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में आजीविका में वृद्धि लाने, आय सृजन की स्थिति में सुधार लाने और जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाने के लिए ग्रामीण उत्पादक उपयोगों/आजीविकाओं के लिए स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि लाना है। इस परियोजना के प्रमुख परिदेय हैं (i) ग्रामीण आजीविकाओं के लिए प्रमुख अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पैकेजों का विकास और संस्थापना (आरईटीपीआरएलएस), (ii) ग्रामीण आजीविका में वृद्धि लाने के लिए अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी और सेवा प्रदाताओं के लिए आपूर्ति श्रृंखला का विकास, (iii) अक्षय ऊर्जा – ग्रामीण ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए नीतिगत और विनियामक सेवा के विकास में सहायता उपलब्ध कराना, और (iv) विकेन्द्रित अक्षय ऊर्जा – ग्रामीण आजीविका संबंधी अनुप्रयोगों के लिए वित्तीय सहायता मॉडलों की प्रभावशीलता का आकलन और उनमें सुधार लाना। इस परियोजना के अंतर्गत सहायता हेतु चिह्नित आजीविका के क्षेत्र हैं – बागवानी, दुग्ध उत्पादन (डेयरी), पोल्ट्री, मछली पालन, हस्तकरघा (बांस/बुनाई) और अन्य ग्रामीण सूक्ष्म उद्योग। इस परियोजना के लिए यूएनडीपी/जीईएफ का अंशदान 4.80 मिलियन अमेरिकी डॉलर है जबकि भारत सरकार/एमएनआरई का योगदान 10.0 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और इस परियोजना की अवधि अगस्त, 2015 से आरंभ होकर 5 वर्षों के लिए है।

11.13 वर्ष 2017–18 के दौरान वास्तविक प्रगति:

क. परियोजना तथा आरईटीपीआरएल के बारे में जागरुकता का सृजन करने और उन प्रस्तावों, जिन्हें आरएफपी के विरुद्ध प्राप्त किया जाना था, को विकसित करने के लिए भी कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिन्हें बाद में एमएनआरई और राज्य नोडल एजेंसियों की वेबसाइटों पर अपलोड किया गया। संभावित लाभार्थियों, गैर सरकारी संगठनों, राज्य सरकार के अधिकारियों और शिक्षाविदों आदि सहित लगभग 800 हितधारकों ने इन कार्यशालाओं में भाग लिया।

ख. 10 आरईटीपीआरएल के लिए तकनीकी विनिर्देशन और बेंचमार्क लागतों को सचिव द्वारा अनुमोदित एक समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया और अनुमोदित किया गया।

ग. असम और मध्य प्रदेश में सौर माइक्रो पंपों के कार्यान्वयन हेतु क्रमशः एईडीए और एमपीयूवीएन से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जबकि सौर पंप परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ओआरईडीए से प्रस्ताव के शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है।

घ. ग्रामीण उद्यमियों से प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए आरएफपी जारी किया गया। कुल 22 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिसमें से आरंभिक जाँच के बाद 5 प्रस्तावों (3 ओडिशा से, असम और मध्य प्रदेश से 1–1) का चयन किया गया। इन प्रस्तावों पर आगे कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि जिन एजेंसियों का चयन किया गया था उन्हें आगे की जाँच के पश्चात् परिदेयों के वितरण में सक्षम नहीं पाया गया है।

ङ. राज्य सरकार/आरआरबी के अधिकारियों/शिक्षाविदों आदि के बीच आरईटीपीआरएल के बारे में जागरुकता का सृजन करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। आरईटीपीआरएल पर सार–संग्रह/श्रव्य–दृश्य सामग्रियाँ भी विकसित की जा रही हैं और पूरा कर लिए जाने के अंतिम चरण में हैं। परियोजना की एक वेबसाइट विकसित करने संबंधी कार्य भी प्रक्रियाधीन है।

ख). ऊर्जा सुलभता नीति कोष (ईएपीएफ) पर डीएफआईडी सहायित परियोजनाः

परियोजना का संक्षिप्त विवरण

11.14 इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ऑफ ग्रिड साधनों के लिए ऊर्जा उपलब्धता नीति फ्रेमवर्क और वित्तपोषण संबंधी माध्यमों के विकास को सहायता प्रदान करना है। डीईए द्वारा अनुमोदित डीपीआर के अनुसार कुल डीएफआईडी तकनीकी सहायता के 50% का उपयोग दो राज्यों– ओडिशा और झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायोगिक परियोजनाओं की संस्थापना करने अथवा अक्षय ऊर्जा उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए किया जाना है। भारत सरकार/एमएनआरई का अंशदान इस क्षेत्र में प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।

ग). "हरित ऊर्जा कॉरिडोर (जीईसी), अक्षय ऊर्जा स्रोतों का एकीकरण (आई–आरई) और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की सुलभता (एसीसीईएसएस)" पर जीआईजेड सहायित परियोजनाः

भारत–जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम–हरित ऊर्जा कॉरिडोर (जीईसी) परियोजना

परियोजना का संक्षिप्त विवरण

11.15 इस कार्यक्रम घटक का मुख्य उद्देश्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों के ग्रिड एकीकरण के लिए क्षेत्र फ्रेमवर्क और स्थितियों में सुधार लाना है। यह कार्यक्रम घटक भारत सरकार की हरित ऊर्जा कॉरिडोर योजना के कार्यान्वयन को सीधे सहायता प्रदान करता है जो वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता की 175 गीगावाट क्षमता की संस्थापना करने के भारत सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अक्षय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर एकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है।

भारत–जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम–ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की सुलभता (एसीसीईएसएस) परियोजना

परियोजना का संक्षिप्त विवरण

11.16 इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण ऊर्जा उद्यमों के लिए क्षेत्र के परिवेश में सुधार लाना है। परियोजना के अन्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:–

क. परियोजना द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदत्त कम से कम 75 प्रतिशत ग्रामीण ऊर्जा उद्यमों द्वारा यह पुष्टि की जानी चाहिए कि व्यापार संबंधी स्थितियों (अर्थात् व्यापार मॉडलों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों,

वित्तपोषण, सार्वजनिक सहायता कार्यक्रमों, बाजार में तेजी) में कार्यक्रम की अवधि के दौरान उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ है।

ख. 20 ग्रामीण ऊर्जा उद्यमों–जिनमें से 6 उद्यमों का संचालन महिलाओं द्वारा किया गया है–को कार्यक्रम के साझेदारों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है और व्यापार योजनाएं विकसित की गई हैं जो 25,000 परिवारों के लिए सहायक हैं।

ग. 2 अतिरिक्त वित्तीय साधन जिनके द्वारा 10,000 ग्रामीण परिवारों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है, राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर उपलब्ध हैं।

घ. ऊर्जा की उपलब्धता को सहायता प्रदान करने हेतु 4 राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय कार्यक्रमों अथवा विनियमों, जिनके विकास को इस कार्यक्रम द्वारा सहायता प्रदान की गई है, को अपनाया गया है।

भारत–जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम–अक्षय ऊर्जा स्रोतों का एकीकरण (आई–आरई) परियोजना

परियोजना का संक्षिप्त विवरण

11.17 इस परियोजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा की 175 गीगावाट संस्थापित क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने पर बल देते हुए भारत सरकार को अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। इस परियोजना द्वारा विशिष्ट रूप से निम्नलिखित का प्रयास किया जाएगाः–

क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को भारत के लिए एक दीर्घकालिक अक्षय ऊर्जा आधारित विद्युत क्षेत्र संबंधी "विजन" तैयार करने में सहायता प्रदान करना।

ख) अक्षय ऊर्जा स्रोतों और विशेष रूप से रूफटॉप प्रकाशवोल्टीय संयंत्रों के निम्न एवं मध्यम वोल्टेज स्तरों पर वितरण ग्रिड में एकीकरण को सहायता प्रदान करना।

घ). स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा सुलभता को बढ़ावा देने (पीईएसीई), स्वच्छ ऊर्जा के विकास हेतु साझेदारी (पीएसीई), पेससेटर और अमेरिका भारत स्वच्छ ऊर्जा वित्तपोषण (यूएसआईसीईएफ) पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सहायता प्रदत्त परियोजना।

परियोजना का सार–पीईएसीई

11.18 सितम्बर, 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार (यूएसजी) और भारत सरकार (जीओआई) द्वारा "स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा उपलब्धता को बढ़ावा देना (पीईएसीई)" नामक एक नई पहल आरंभ किए जाने की घोषणा की गई। पीईएसीई का उद्देश्य ऊर्जा उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख कारकों को सहायता प्रदान करना है। ये चार कारक हैं– (1) सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करना; (2) स्वच्छ ऊर्जा उपलब्धता के लिए वित्तपोषण में वृद्धि लाने हेतु नए संपर्क विकसित करना; (3) प्रौद्योगिकी नवोन्मेष; और (4) हितधारकों की तकनीकी क्षमता का निर्माण करना।

परियोजना का सार–पीएसीई

11.19 वर्ष 2009 में आरंभ की गई इस परियोजना में अमेरिका और भारतीय पक्ष, दोनों ओर से कई सरकारी और गैर–सरकारी हितधारकों के प्रयास शामिल हैं और इसमें स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और नीतियों के अनुसंधान और संस्थापना को सहायता प्रदान कर ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित कई मामलों पर कार्य करने हेतु 3 प्रमुख घटक शामिल हैं– अनुसंधान (पीएसीई–आर), संस्थापना (पीएसीई–डी) और ऑफ ग्रिड ऊर्जा उपलब्धता (पीईएसीई)। पीएसीई में शामिल 7 अमेरिकी सरकारी एजेंसियाँ हैं– ऊर्जा विभाग, राज्य मामलों का विभाग, वाणिज्य

विभाग, यूएसएआईडी, ओवरसीज प्रा. इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य व्यापार और विकास एजेंसियाँ।

परियोजना का सार–पेससेटर

11.20 इसे मंत्रिमंडल के अनुमोदन से आरंभ किया गया था। इस परियोजना द्वारा आरंभिक चरण में अनुदान निधिकरण उपलब्ध कराकर अभिनव ऑफ ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा उपलब्धता संबंधी साधनों के वाणिज्यीकरण में तेजी लाने में सहायता प्रदान की जाती है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्येक द्वारा ऑफ ग्रिड अक्षय ऊर्जा व्यापार की व्यवहार्यता में सुधार लाने हेतु लगभग 25 करोड़ रु. का अंशदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। संचालन समिति की सह–अध्यक्षता सचिव, एमएनआरई और भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत द्वारा की जाती है।

परियोजना का सार–यूएसआईसीईएफ

11.21 यूएसआईसीईएफ का उद्देश्य वितरित स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं की आरंभिक स्तरीय परियोजना तैयारी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। यूएसआईसीईएफ द्वारा संपूर्ण भारत में मिनीग्रिड, वितरित रूफटॉप और ऑफ ग्रिड सौर परियोजनाओं के साथ–साथ अपेक्षाकृत छोटे स्तर की ग्रिड संबद्ध सौर परियोजनाओं को लक्ष्य किया जाएगा। यूएसआईसीईएफ द्वारा परियोजना तैयार करने संबंधी कार्यकलापों को सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें इंजीनियरी लागत, व्यवहार्यता अध्ययन, सम्यक तत्परता एवं वित्तीय प्रलेखीकरण के लिए विधिक लागत, कारोबार परामर्शी सेवाएं, ग्राहक का मूल्यांकन, आंतरिक नियंत्रण और भुगतान संबंधी कार्यप्रणालियाँ शामिल हो सकती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) के साथ साझेदारी

11.22 भारत अन्तर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) के संस्थापक सदस्यों में शामिल है जो एक अंतर–सरकारी संगठन है जिसके द्वारा देशों को भविष्य में धारणीय ऊर्जा को अपनाने में सहायता प्रदान की जाती है और जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक उत्कृष्टता के केन्द्र हेतु एक प्रमुख मंच और अक्षय ऊर्जा पर नीति, प्रौद्योगिकी, संसाधन और वित्तीय जानकारी के संग्रह केन्द्र के रूप में कार्य करता है। आईआरईएनए द्वारा धारणीय विकास, ऊर्जा उपलब्धता, ऊर्जा संरक्षा और अल्प कार्बन आर्थिक विकास एवं समृद्धि का अनुशीलन करने के लिए बायो ऊर्जा, भू–तापीय, पन बिजली, महासागर, सौर और पवन ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा के सभी स्वरूपों को व्यापक रूप से अपनाए जाने और उनके धारणीय उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

11.23 विश्व भर के देशों से प्राप्त अधिदेश से इरेना द्वारा सरकारों को अक्षय ऊर्जा निवेश हेतु समर्थकारी नीतियों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, अक्षय ऊर्जा की संस्थापना में तेजी लाने के लिए व्यावहारिक उपकरण और नीतिगत सलाह दी जाती है, और विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए स्वच्छ एवं धारणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए जानकारी को साझा करने और प्रौद्योगिकी अंतरण को बढ़ावा दिया जाता है।

11.24 भारत द्वारा इरेना परिषद के एक सदस्य के रूप में कार्य किया गया और वर्ष 2015 में इरेना परिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी की गई जो असेम्बली के प्रति जवाबदेह है और जो सदस्यों के बीच परस्पर विचार–विमर्श और सहयोग को बढ़ावा देता है तथा कार्य के मसौदा कार्यक्रम, मसौदा बजट और वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करता है।

11.25 इरेना एमएनआरई के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है और भारत द्वारा निर्धारित 175 गीगावाट के अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतिगत सुझाव उपलब्ध कराता है। इरेना द्वारा पहले ही "अक्षय ऊर्जा मानचित्र 2030 – भारत देश की रिपोर्ट" तैयार की गई है। एमएनआरई द्वारा इरेना के साथ अक्षय ऊर्जा के लिए वैश्विक एटलस पर सहयोग किया जा रहा है। इरेना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की स्थापना करने में भी सहायता प्रदान की गई है।

दक्षेस (सार्क) के सदस्य देशों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

दक्षेस – (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन – 12 सितम्बर से 29 सितम्बर, 2017)

11.26 राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाइस), गुरुग्राम, द्वारा सार्क के सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया गया जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वित्तीय सहायता से दिनांक 12 सितम्बर से 29 सितम्बर, 2017 तक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन सौर प्रौद्योगिकियों की क्षमता में वृद्धि लाने हेतु किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान नाइस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को सौर जल पंप और अन्य सौर उपकरण दिखाने के लिए जयपुर शहर का भ्रमण कराया गया।

11.27 प्रतिभागियों ने नाइस स्थित सभी प्रयोगशालाओं और अन्य सुविधाओं का भी दौरा किया। आंतरिक और बाहरी वक्ताओं ने सौर ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में व्याख्यान प्रस्तुत किए। 5 विभिन्न देशों, नामतः नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 16 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

सार्क के सदस्य देशों के लिए सौर प्रौद्योगिकियों पर कौशल विकास कार्यक्रम (12–29 सितम्बर, 2017)